न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

(34)

प्रकरण संख्या:– 89 / दावा / 2017

1. दुर्गाशंकर आ0 स्व. गोपी लाल जाति तेली निवासी कालामाल हाल निवासी ओघन्धा तहसील हिण्डोली जिला बूंदी राज0

वादी

बनाम

1. लाडबाई पत्नी स्व. श्री कैलाश चंद हाल पत्नी भैरूलाल जाति तेली निवासी ग्राम रामपाली तहसील सरवाड जिला अजमेर (राज0)
2. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब, हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रतिवादीगण

दावा पत्र अंतर्गत :– धारा 88, 89, 188 रा0टी0एक्ट

वादी अभिभाषक :– श्री शम्भूदयाल शर्मा
प्रतिवादी – एकतरफा

निर्णय दिनांक :– 29 / 10 / 2020

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी गण ने दावा पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 रा0टी0एक्ट प्रस्तुत कर अंकन किया कि भूमि खसरा संख्या 674 / 859 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम ओधन्धा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में विस्थित है जो जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 की खतोनी संख्या 200 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का स्व0 पति श्री कैलाशचंद सगे भाई है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के स्व. पति कैलाशचंद दोनों साथ–साथ रहते थे एवं दोनों ने अपनी आमदनी से ग्राम ओधन्धा की कृषि भूमि खसरा संख्या 674 / 859 व 674 / 860 को संयुक्त रूप से पडत से फाडकर भूमि के ठूंठ निकालकर समतल करके कृषि उपज योग्य बनाया था एवं भूमि खसरा संख्या 674 / 860 वादी के नाम व खसरा संख्या 674 / 859 रकबा 2 बीघा दोनों भाईयों की सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 के पति के नाम दर्ज करवायी थी। वादी का भाई व प्रतिवादी संख्या 1 का स्व0 पति कैलाश अक्सर बीमार रहता था जिससे कठौर मेहनत का कार्य व कृषि कार्य नही होता था इसलिए सम्पूर्ण भूमि पर काश्त वादी ही करता था। वादी ने ही वादग्रस्त भूमि को आवंटन करवाया व गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवाई है। वादी के भाई व प्रतिवादी संख्या 1 के स्व. पति कैलाश से कैलाश के जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 1 के कोई संतान पैदा नही हुई और प्रतिवादी संख्या 1 के कोई संतान पैदा नही होने पर प्रतिवादी संख्या 1 वादी के भाई कैलाश को

डकर वर्ष 1998 में भैरूलाल तेली निवासी ग्राम रामपाली तहसील सरवाड से विवाह कर ार वादी के भाई का प्रतिवादी संख्या 1 ने परित्याग कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1 लाडबाई के द्वारा वादी के भाई कैलाश को छोडकर भैरूलाल निवासी रामपानी से विवाह कर लेने से वादी का भाई कैलाश वादी के पास ही रहा था और वादी के पास रहते हुये दिनांक 13.05.1999 को वादी के भाई कैलाश की मृत्यु हो गई है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भैरूलाल तेली से विवाह कर लेने से भैरूलाल के हाथ सहवास से प्रतिवादी संख्या 1 लाडबाई द्वारा भैरूलाल से विवाह कर लेने के बाद वादग्रस्त भूमि से लाडबाई का कोई संबंध नही रहा है और न ही वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 का अपने पूर्व पति कैलाश की मृत्यु के बाद भूमि खसरा संख्या 674/859 पर कभी कब्जा नही रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त भूमि पर कब्जा नही रहने से व कैलाश के जीवनकाल में ही प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भैरूलाल से विवाह कर लेने के कारण मृतक कैलाश की वादग्रस्त भूमि पर लाडबाई का कोई अधिकार नही रहा है। विवाहित स्त्री के पति के जीवनकाल में पत्नी द्वारा अन्य व्यक्ति से संबंध (विवाह) कर लेने एवं अन्य पुरूष की पत्नी बन जाने से पूर्व पति की सम्पति में उक्त महिला का कोई अधिकार शेष नही रहता है। उक्त प्रकरण में भी लाडबाई द्वारा अपने पति कैलाश के जीवनकाल में ही भैरूलाल तेली से विवाह कर लेने से कैलाश की वादग्रस्त भूमि में लाडबाई का कोई हक एवं अधिकार शेष नही रहा है। तथा वादी वादग्रस्त भूमि पर कैलाश के जीवनकाल से व कैलाश की मृत्यु के बाद से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 की जानकारी में बिना रोक टोक शान्तिपूर्वक निरन्तर निर्बाध रूप से भूमि खसरा संख्या 678/859 पर काबिज काश्त चले आने से कब्जा मुखालफाना के आधार पर वैधानिक खातेदारी बन चुके है। भूमि की कीमते बढ जाने से एवं वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चली आने से प्रतिवादही संख्या 1 के मन में बदनियति आ गई है और प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 30.07.2013 को अपने वर्तमान पति भैरूलाल को साथ लेकर वादग्रस्त भूमि पर आ गई और वादी को धमकी दी कि उक्त भूमि मेंरे नाम है जिस मै बेंचान करूंगी एवं तुम्हे मौके पर से बेदखल करूंगी। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन किया कि उक्त भूमि में काफी पैसा लगाया है। भूमि को अधिक उपजाउ व समत बनाया है एवं मैं मौके पर काबिज हूँ एवं तुमने दूसरी जगह शादी कर ली है अब तुम्हारा इस भूमि पर कोई वास्ता नही है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 मानने को तैयार नही हुई और जुलाई 2013 में भूमियों को बेंचान व रहन करने की धमकीं देने से वादी को उक्त वाद कारण उत्पन्न हुआ है। वाद कारण दिनांक 30.07.2013 को ग्राम ओधन्धा में उत्पन्न होने से श्रीमान को उक्त वाद का वाद कारण उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर जारी है। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादी वादग्रस्त भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित करवाकर वादी स्वयं को खातेदार घोषित करवावे एवं राजस्व रिकार्ड में खातेदार के स्थान पर स्वयं का नाम दर्ज करवावे तथा वादी के कब्जे काश्त में दखल नही करने व भूमि को खुर्द–बुर्द नही करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद करावें। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त भूमि को जुलाई 2013 में बेंचान, रहन रखने व भूमि पर से वादी को बेदखल करने की धमकी देने से वाद आवश्यक प्रकृति का हो गया है

स्थित में राज0 राज्य को 2 माह की निर्धारित अवधि का नोटिस दिये बिना अनुमति प्रार्थना पत्र धारा 80(2) जा0दी0 के साथ वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जिसकी अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित है। वादग्रस्त भूमि ग्राम ओधन्धा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमान को उक्त वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद अन्तर्गत अवधि मध्य निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है।

(36)

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जावें – कृषि भूमि खसरा संख्या 674/859 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम ओधन्धा पर से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित किया जाकर उक्त भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किया जावें। उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादी के कब्जे में दखंलदाज नही करने, भूमि का खुर्द–बुर्द नही करने, रहन, बेचान नही करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो वादी को प्रदान की जावें।

उक्त दावा पूर्व में 70/दावा/2013 दर्ज रजिस्टर था जिसका निर्णय दिनांक 01.06.2015 को न्यायालय द्वारा कर दिया गया था। उक्त निर्णय के विरूद्व वादी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा में अपील कर दिये जाने से अपील संख्या 15/507 में निर्णय दिनांक 04.08.2017 से पत्रावली इस आदेश के साथ न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया कि प्रकरण में जवाबदावा प्राप्त कर साक्ष्य ली जाकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करें। दावा पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की पूर्व में ही एकपक्षीय कार्यवाही की हुई है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पूर्व में जवाब पेश किया हुआ है। प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई है।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र PW 1 दुर्गाशंकर, PW 2 मदनलाल बैरवा, PW 3 रामकिशन बैरवा, PW 4 रामदेव मीणा की मौखिक साक्ष्य पेश की अन्य कोई साक्ष्य वादी द्वारा पेश नही किये। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

हमने प्रकरण पर वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकीलवादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों कों दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम ओधन्धा की भूमि खसरा संख्या 674/859 रकबा 2 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 लाडबाई के खाते दर्ज है। कैलाश व दुर्गाशंकर दोनों सगे भाई है। कैलाश की मृत्यु हो चुकी है। यह भूमि कैलाश व वादी की संयुक्त स्वामित्व की भूमि है। प्रतिवादी लाडवाई कैलाश की जीवनकाल में ही अन्यत्र नाते चली गई थी। उसके नाते चले जाने के बाद उसके पति व वादी के भाई कैलाश की मृत्यु तक सेवा व मृत्यु उपरान्त समस्त सामाजिक कार्यकम वादी द्वारा ही किये गये है। उक्त भूमि की खातेदारी अधिकार के वादी द्वारा ही दिलवाये गये है। प्रतिवादी संख्या 1 लाडबाई का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है व मेरे भाई के जीवन काल में ही अन्यत्र

चली गई है। उसका अब इस भूमि पर कोई हक व स्वामित्व नही है। वादीगण को (37)
मि पर खातेदार घोषित किया जावें।

हमने प्रकरण पर वकील वादी की एकपक्षीय बहस समाहत की गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो व साक्ष्यों एवं विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा की गई बहस पर मनन कर वाद में निम्नानुसार तनकीवार विवेचन किया गया–

तनकी संख्या 1:– आया वादग्रस्त आराजी पर वादी प्रतिवादी संख्या 1 का नाम डिलिट करवाकर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। तनकी को साबित करने का भार वादी पर है।

दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने बताया कि भूमि खसरा सं0 674/859 रकबा 2 बीघा ग्राम ओधन्धा तहसील हिण्डोली प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत 2066–69 से प्रमाणित है। उक्त भूमि पूर्व में लाडबाई के नाम गैर खातेदारी दर्ज थी जो नामान्तकरण संख्या 667 दिनांक 15.03.2012 से खातेदारी में दर्ज हुई है। विवादित भूमि का वादी खातेदार काश्तकार नही होने से कब्जे के आधार पर स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी नही है। कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित किया जाना विधि विरूद्व है। उक्त तनकी वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2:– आया वादग्रस्त आराजी पर वादी, प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। विवादित भूमि का वादी खातेदार नही है। तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्व निर्णित किये जाने से उक्त तनकी भी वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

उक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वाद वादी विधि विरूद्व होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली